कार्यालय प्रबंध संचालक
म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा ,भोपाल -462023

FIN 2013

क्रं.प्र.सं./म.क्षे./निदेशक(वित्त)/ 4337 — भोपाल दिनांक 18/12/2013

परिपत्र

विषय :- जमा योजना कार्यों के कार्य पूर्णता प्रतिवेदन (Completion Report) तैयार करने के संबंध में।

****

कंपनी के लेखा-मुख्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों से प्राप्त एनेक्सचर जी (Annex-G) की संवीक्षा (Scrutiny) के दौरान यह पाया गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों की कार्यशैली में एकरूपता नहीं है। इसके अतंरिक्त मैदानी कार्यालयों से भी समय समय पर जमा-योजना-कार्यों (Deposit Works), जो निर्माणोपरांत कंपनी को सौंप दिया गए है का कार्य-पूर्णता-प्रतिवेदन (Completion Report) बनाने, उन्हें कंपनी की परिसंपत्तियों में सम्मिलित करने तथा निरीक्षण प्रभार (Supervision Charges) जमा कर ठेकेदार के माध्यम से कराये जा रहे कार्यो का कार्य पूर्णता-प्रतिवेदन (Completion Report) बनाये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश चाहे गए है।

एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई कार्य, चाहे उसका निर्माण कंपनी ने किया हो या किसी अन्य (बाह्य) निर्माण एजेंसी ने किया हो निर्माणोपरांत यदि वह कंपनी को सौंप दिया जाता है एवं कंपनी द्वारा उसका रखरखाव कंपनी खर्च पर किया जाता है तो ऐसे कार्यों का भी कार्य पूर्णता प्रतिवेदन बना कर कंपनी की परिसंपत्तियों में सम्मिलित किया जाना है।

कार्यपूर्णता प्रतिवेदन तैयार करने की लेखांकन-प्रकिया (Accounting Proceedure) निम्नानुसार हैः-

१. कंपनी द्वारा कराए गए जमा योजना कार्य (Deposit Work) :- यदि Deposit Work के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा कार्य की लागत के बराबर राशि जमा कराई गई है एवं कार्य के लिए सामग्री इत्यादि क्षेत्रीय भंडार से निर्गमित की गई है तो ऐसी स्थिति में परिसम्पत्ति का लेखांकन कंपनी के परिपत्र क्रमांक MK/05/Accts/ Cir-01/1764 दिनांक 23/07/2013 के अनुसार होगा।

२. बाह्य एर्जेसियों द्वारा कराये गये जमा योजना कार्य (Deposit Work):- जिन कार्यो में समस्त व्यय बाह्य एजेन्सी द्वारा किया गया हो, समाग्री का प्रदाय क्षेत्रीय भंडार से नही किया गया हो, केवल निरीक्षण प्रभार ही उपभोक्ता द्वारा जमा कराया गया हो एवं निर्माणोपरांत परिसम्पत्ति कंपनी को सौप दी गई हो तथा जिसका रखराखाव कंपनी के द्वारा कंपनी खर्च पर किया जा रहा हो उन निर्माण कार्यो में परिसम्पत्ति का लेखांकन निम्न प्रकार किया जायेगा।

S.No.	Event	Source Document	Dr.	Cr.	Remark
1.	On Deposit of Supervision Charges	Money Receipt /CRA	24.xxx	62.925	
2.	On Transfer of Asset	Journal Voucher (Cost+Sup. Ch)	10.xxx	55.520	After Preparation of Completion Report

३. उपरोक्त स्थिति क्रमांक २ में किये गये कार्यो को कंपनी की परिसम्पत्तियों में समलित करने हेतु क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को संबंधित संभाग से प्राप्त कार्यापूर्णता प्रतिवेदन के आधार पर Journal Voucher बनाना होगा। Journal Voucher बनाने के पूर्व संबंधति संभाग समस्त आवश्यक दास्तावेज क्षेत्रीय लेखा कार्यालय को उपलबध करायेगा। क्षेत्रीय लेखा कार्यालय संबंधित संभाग से दास्तावेज प्राप्त करने के उपरांत ही Journal Voucher पारित करेगा।

४. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्देशों के अभाव में यदि ऐसे कार्यो के पूर्व वर्षो के कार्यपूर्णता प्रतिवेदन शेष हों तो ऐसे समस्त कार्यपूर्णता प्रतिवेदन दिनांक 28-02-2014 तक अनिवार्यता प्रस्तुत किये जायें।

संजय श्रीवास्तव
निदेशक वित्त

क्रं.प्र.सं./म.क्षे./निदेशक(वित्त)/4338 भोपाल दिनांक 18/12/2013

प्रतिलिपिः-

१. निजि सचिव, प्रबंध संचालक, कार्यालय प्रबंध संचालक,म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल (सूचनार्थ)।
२. निदेशक (वाणिज्य), कार्यालय प्रबंध संचालक,म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल।
३. मुख्य सलाहकार, कार्यालय प्रबंध संचालक,म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल।
४. मुख्य महाप्रबंधक (भोपाल क्षेत्र/ग्वालियर क्षेत्र),म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल/ग्वालियर।
५. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), कार्यालय प्रबंध संचालक,म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल।
६. मुख्य महाप्रबंधक (सूचना प्रोधौगिकि), कार्यालय प्रबंध संचालक,म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल।
७. अतिरिक्त निदेशक (वित्त), कार्यालय प्रबंध संचालक,म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल।
८. महाप्रबंधक (शहर/सं.सं./भंडार/एस.टी.सी.), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,..........................
९. लेखा अधिकारी (शहर/सं.सं./भोपाल क्षेत्र/ग्वालियर क्षेत्र), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.....................
१०. रिकॉर्ड रूम, कार्यालय प्रबंध संचालक,म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,भोपाल।

राजीव अग्रवाल
उप महाप्रबंधक(बजट एवं लेखा)